# राजस्थान सरकार
## खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 6( )खाद्य/कम्प्यूटर/पोस पार्ट–1/2018–19 दिनांक 10.11.2020

जिला कलक्टर (समस्त),
राजस्थान।
जिला रसद अधिकारी (समस्त),
राजस्थान।

विषयः– 'वन नेशन वन राशन कार्ड' अन्तर्गत आधार सीडिंग एवं सत्यापन के कार्य के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड–19 महामारी ने सरकार के सभी संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाला हैं। कोविड–19 से लड़ने एवं सर्विस डिलीवरी के मानकों को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 02 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार (Additional Borrowing) देने का निर्णय लिया गया हैं।

Additional Borrowing राज्य सरकार के रिफॉर्म से जुडी हुई हैं। खाद्य विभाग से संबंधित रिफॉर्म "वन नेशन वन राशन कार्ड" हैं, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा के समस्त लाभार्थियों के आधार नंबरों की राशनकार्ड के साथ सीडिंग करना एवं सभी ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों का ऑनलाईन किया जाना हैं।

पूर्व में विभाग द्वारा आधार सीडिंग का कार्य बीएलओ के माध्यम से करवाये जाने का निर्णय लिया गया था, आधार सीडिंग हेतु मोबाईल एप DoIT&C द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें तकनीकी समस्याओं के कारण आधार सीडिंग का कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है।

इस संबंध में वित्त विभाग तथा DoIT&C से समन्वय करते हुए नये निर्देश जारी किये जा रहे है जो निम्न प्रकार हैः–

- आधार सीडिंग का विकल्प ई–मित्र पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
- उचित मूल्य दुकानदार आधार सीडिंग के कार्यों में सहयोग करेंगे एवं जिन लाभार्थियों की आधार सीडिंग नहीं हैं, उसको ई–मित्र पर जाकर आधार सीडिंग हेतु प्रेरित करेंगे।
- जिला रसद अधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करवा कर अधिकतम आधार सीडिंग 25 नवम्बर तक करवायी जानी हैं।
- खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को नेशनल पोर्टेबिलिटी के फायदे बताये जाये तथा लोगों को जागरूक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी स्वयं ई–मित्र पर जाकर आधार सीडिंग करवा सके।
- लाभार्थियों की आधार सीडिंग हेतु राशन डीलर एवं ई–मित्र दोनो को 01 रू. प्रति लाभार्थी (कुल 02 रू.) सफल आधार सीडिंग के हिसाब से किया जायेगा।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ 6( )खाद्य/कम्प्यूटर/पोस पार्ट–1/2018–19 दिनांक 10.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव (प्रथम), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (ई–पीडीएस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त